न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्याः–52/22

1. मोहनकंवर पत्नि मदनसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. रतनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

1. भंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. धीरूकंवर पुत्री सोनकंवर जाति राजपुत निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. भंवरीकंवर पुत्री सोनकंवर जाति राजपुत निवासी कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषैधाज्ञा डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 5 स्वंय उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–18.08.2022

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 558/249 पांच सौ अठावन बट्टा दौ सौ उनचास तादादी 5.9564 पांच दशमलव नौ पांच छः चार हेक्टेयर भूमि वाके रोही कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि से संबोधित किया गया है। वादगत भूमि में वादी मोहनकंवर की 0.3794 हेक्टेयर भूमि व वादी रतनसिंह की 0.9038 हेक्टेयर भूमि है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 से वादगत खेत खसरा संख्या 558/249 पांच सौ अठावन बट्टा दौ सौ उनचास तादादी 5.9564 पांच दशमलव नौ पांच छः चार हेक्टेयर भूमि वाके रोही कल्याणसर में उनकी 974/4521 हिस्सा भूमि में सें 0.3794 हेक्टेयर वादी मोहनकंवर ने व 0.9038 हेक्टेयर भूमि वादी रतनसिंह ने जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 के द्वारा क्रय की थी। क्रय करने के दिन ही वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 से क्रय भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादीगण द्वारा वादगत खेत में सें जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 के द्वारा क्रय शुद्धा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के लिए पटवारी हल्का कल्याणसर को फोटो प्रति दी थी। परन्तु पटवारी हल्का की लापरवाही से वादीगण द्वारा जरीये

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय शुद्धा भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में आज दिनांक तक अंकित नही हो सकी। वादगत खेत का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादीगण के मुकाबले गलत शुन्य एवं निश्प्रभावी है। घोषित किया जावे की वादगत खेत खसरा संख्या 558/249 तादादी 5.9564 हेक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादी मोहनकंवर 0.3794 हेक्टेयर व वादी रतनसिंह 0.9038 हेक्टेयर भूमि के खातेदार कृषक है। वादगत भूमि में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम का अंकन गलत है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपनी अपनी सम्पूर्ण हिस्सा भूमि जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 के वादीगण को विक्रय कर दी थी। इस कारण वादगत खेत की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का नाम हटाया जाकर उनकी हिस्सा भूमि की खातेदारी पंजीकृत विक्रय पत्र के अंकन अनुसार वादीगण के नाम अंकित की जावे। इस प्रकार वादगत खेत की 974/4521 हिस्सा भूमि की खातेदारी पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 के अनुसार वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित फरमायी जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 से वादगत भूमि में संशोधन कराने का दिनांक 25.05.2022 को निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने साफ तौर पर इनकार कर दिया ओर वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की ऐलानियां धमकियां दी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से वादगत खेत खसरा संख्या 558/249 तादादी 5.9564 हेक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू में वादी मोहनकंवर 0.3794 हेक्टेयर व वादी रतनसिंह 0.9038 हेक्टेयर भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित करावे जिसके लिए वादीगण को कानुनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण वादगत खेत का संयुक्त खातेदार है। इसलिए वादीगण को वादाधार वाद प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की ऐलानियां धमकियां देने से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। कृषि भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादगण द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। भंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह खातेदार होने के कारण वाद में उनको फोरमल पक्षकार बनाया है। दावा घोषणात्मक, राजस्व रेकार्ड में संशोधन एंव चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ती का है। वादगत खेत रोही ग्राम कल्याणसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारीत न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि–आदि का दावा पेश कर दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजुद तामिल अनुपस्थित। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खिलाफ एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वाद के समर्थन में वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 की फोटो प्रति व जमाबंदी की सत्य प्रतिलिपि पेश की है।

बहस वकील वादीगण की एक पक्षीय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर वादगत भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादीगण की ओर से वादगत भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 के आधार पर क्रय करना तथा वादगत भूमि वादीगण के कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 से जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादीगण की जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय शुद्धा भूमि है। पंजीकृत विक्रय पत्र पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। क्रय शुद्धा भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के कानूनी अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने मौखिक बहस में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6.7.2021 के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने का निवेदन किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य है। इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली का गहन अध्ययन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 558/249 तादादी 5.9564 हेक्टेयर वाके रोही कल्याणसर के राजस्व रेकार्ड में खातेदार धीरूकंवर, भंवरीकंवर पुत्रीयां सोनकंवर जाति राजपुत निवासी कल्याणसर की कुल 974/4521 हिस्सा भूमि में से 288/4521 हिस्सा भूमि मोहनकंवर पत्नि मदनसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणसर के नाम से व 686/4521 हिस्सा भूमि रतनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणसर के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार इनको खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

मोहनकंवर बनाम भंवरसिंह आदि

दावा बाबतः–घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

वाद संख्याः– 52/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.......हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 558/249 तादादी 5.9564 हेक्टेयर वाके रोही कल्याणसर के राजस्व रेकार्ड में खातेदार धीरूकंवर, भंवरीकंवर पुत्रीयां सोनकंवर जाति राजपुत निवासी कल्याणसर की कुल 974/4521 हिस्सा भूमि में सें 288/4521 हिस्सा भूमि मोहनकंवर पत्नि मदनसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणसर के नाम से व 686/4521 हिस्सा भूमि रतनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणसर के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार इनको खातेदार घोषित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें।

चीज...................मुबलिग................बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक...को अदा करे।

बसंब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.08.2022

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

मुहर ओहदा बीदासर ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner